न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1007/2005/जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर, जिला जोधपुर।

.....अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1. श्रीमती धापू बेवा स्वर्गीय बीरमाराम विश्नोई
2. रामचन्द पुत्र बीरमा – **मृतक (जरिये कायममुकाम)**

    2/1. श्रीमती सारकी बेवा रामचन्द्र
    2/2. भीखाराम पुत्र रामचन्द्र
    2/3. भीयाराम पुत्र रामचन्द्र
    2/4. भोमाराम पुत्र रामचन्द्र

3. गोपाराम पुत्र बीरमाराम
4. पूनमचंद पुत्र बीरमाराम

–समस्त जाति विश्नाई निवासीगण सुरपुरा तहसील व जिला जोधपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री राम निवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्रीमति पूनम माथुर, अति.राजकीय अधिवक्ता, अपीलांट।
श्री एस.के.शर्मा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः– 09–01–2020

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील सं. 76/2004 में पारित किये गये

निर्णय व डिक्री दिनांक 11–02–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88 के तहत अपीलान्ट/प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा सुरपुरा विवादित आराजी खसरा संख्या 293 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि का खातेदाकर काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार रेकार्ड में दुरूस्ती की जावे। उक्त वाद पत्र का राज्य सरकार ने अपना जवाबदावा पेश नहीं किया। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड व सुनवाई के बाद आज्ञा दिनांक 26–11–1979 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 05–05–1984 से स्वीकार कर प्रकरण को निर्देशों के साथ पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा पुनः वाद का विचारण किया, जिस वाद में राज्य सरकार ने अपना जवाबदावा पेश किया तथा तनकियात कायम की गई। उक्त कार्यवाही में विचारण न्यायालय अपना निर्णय दिनांक 31–05–1989 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश किए जाने पर उनके द्वारा निर्णय दिनांक 28–05–1991 द्वारा स्वीकार करते हुए पुनः मामले को विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलान्ट्स के हक में नियमानुसार विवादित भूमि की खातेदारी दर्ज किए जाने के बिन्दु पर निर्णय पारित करें। उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पुनः विचारण करते हुए आज्ञा दिनांक 10–01–2003 पारित करते हुए वादी के वाद को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–02–2005 से स्वीकार करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रश्नगत

रकबे का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी राज्य सरकार ने यह द्वितीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिववक्ता ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि मामले में विचारण न्यायालय ने धारा 15 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानुसार उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित नहीं माना। आगे बताया कि स्वयं वादी एक तरफ धारा 15 के तहत खातेदार होना कथित कर रहा है वही दूसरी ओर नियमन बाबत आदेश के आधार पर खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाह रहा है। सारांशतः स्वयं वादी अपने बयानों के आधार पर वाद में किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत रकबा जोधपुर के पेराफेरी क्षेत्र में स्थित है तथा ऐसी भूमि बाबत आवंटन/नियमन किया जाना प्रतिबंधित है तथा ऐसी भूमि पर नियमानुसार काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं किए जा सकते। यहीं नहीं विवादित रकबा रेकार्ड में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। उनका तर्क है कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने में निहित अन्तर्शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित कर अवैधानिकता की है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत रकबे पर वादी का अधिनियम प्रभावी होने से आदिनांक तक निरन्तर नहीं रहा है, इस कारण नियमों के तहत वादी खातेदारी पाने का अधिकारी नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 11-02-2005 को निरस्त कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10-01-2003 को यथावत बहाल रखे जाने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स/वादीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री को न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर उनका सम्वत 2012 से पूर्व से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। यहीं नहीं पुराने कब्जे के आधार पर वादी स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गए। आगे कहा कि पुराने कब्जे के आधार पर तहसीलदार द्वारा वादीगण के हक में आराजी का नियमन करने की भी सिफारिश की गई। इस कारण प्रश्नगत रकबे का वादीगण के पक्ष में नियमन आदेश भी जारी हुए परन्तु किन्हीं कारणवश उक्त आदेश का रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हो सका। यहीं नहीं प्रश्नगत रकबे का सम्वत 2024 तक वादी द्वारा लगान भी जमा करवाया जाता रहा है तथा बकाया लगान जमा कराने हेतु सहमति है। उनका यह भी कहना है कि वादी ने अपने वाद को पर्याप्त व समुचित प्रलेखीय साक्ष्य से प्रमाणित कराया है। उनका यह भी कहना है कि पूर्व में अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई अपील में न्यायालय ने विवाद्यकों की संरचना कर निष्कर्ष अंकित किए जाने के बाद मामले में किसी प्रकार की अन्य नवीन साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं थी। अन्त में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पेश प्रस्तुत द्वितीय अपील को निरस्त कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को यथावत रखने की प्रार्थना की है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, साथ ही समग्र रेकार्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन, अवलोकन एवं मूल्यांकन किया है।

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कृषकों को खातेदारी अधिकार देने के लिए धारा 15(1) एवं 15–एएए (2ए) का उल्लेख करना हम उचित समझते है, जो निम्नानुसार है–

> "15 (1) Subject to the provisions of Section 16 [and clause (d) of sub-section (1) of section 180] every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a

sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act.

Provided that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.

"15AAA (2A) Notwithstanding anything contained in section in section 15-A, any person who was a holder of Khudkasht or a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht within the Indira Gandhi Canal area, whether recorded as such at the commencement of this Act or subsequently in the record of rights, prepared during the survey or re-survey and record operations conducted under section 106 and 107 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956), shall be entitled to all the rights, and be subject to all the liabilities, of a khatedar tenant under this Act, with respect to the whole or such part of the land held as does not exceed the maximum area of land which he is entitled to hold in accordance with the provisions of the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Rajasthan Act No. 11 of 1973)"

(Inserted vide S. 4 (b) of the Act No. 22 of 1992, w.e.f. 11.11.1992.)

उक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 15 अक्टूॅबर, 1955 यानि सम्वत् 2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने के समय राजस्व अभिलेखों में जो काश्तकार अभिलिखित थे, उन्हें धारा 15 (1) के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये। वाद की वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि क्या वादी का कब्जाकाश्त सम्वत 2012 में प्रश्नगत रकबे पर था, इसे प्रमाणित करने के लिए वादी की ओर से सम्वत 2012 की खसरा गिरदावरी पेश नहीं की गई तथा न ही कोई प्रलेखीय साक्ष्य यथा राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया किया। यह प्रकट होता है कि तहसीलदार जोधपुर ने अपने निर्णय में प्रश्नगत रकबे पर सम्वत 2012 में वादी का कब्जाकाश्त एवं लगान अदा करना कथित किया है, किन्तु यह द्वितीय श्रेणी की साक्ष्य होने के कारण ग्राह्य नहीं है। वादी को अपना कब्जाकाश्त प्रमाणित करने के लिए मूल राजस्व अभिलेख यथा

सम्वत 2012 की जमाबंदी की प्रति बतौर वाद के समर्थन में पेश किया जाना चाहिए था, जो कि उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। तहसीलदार जोधपुर के निर्णय में इस बाबत अंकन होना पर्याप्त नहीं है। वादी ने प्रश्नगत रकबे के क्रम में धारा 15 के तहत खातेदारी दिए जाने का अनुतोष चाहा है। किन्तु वादी ने बंदोबस्त के समय आराजी पर अपना कब्जा होने अथवा प्रश्नगत रकबे के बापीदार या गैरबापीदार होने बाबत न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की है। इस कारण वाद को धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने का अनुतोष स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त वाद के समर्थन में वादी द्वारा जुर्मानें की रसीदों को प्रकट किया गया, जिससे यह प्रमाणित होता है कि भूमि पर वादी का कभी–कभी बतौर अतिक्रमी के कब्जाकाश्त रहा है। इस कारण प्रचलित स्थापित नियमों के तहत एक अतिक्रमी के पक्ष में प्रश्नगत रकबे बाबत खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं किए जा सकते। यही भी प्रकट होता है कि प्रश्नगत रकबे के क्रम में वादी का अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व उसका कब्जाकाश्त होने अथवा जागीर रिजम्पसन के बाद आराजी पर उनका नाम दर्ज नहीं किया जाकर सिवायचक घोषित करने बाबत किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव है।

8. यहां यह उल्लेखनीय है कि मूल वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय ने दो बार दावे को खारिज किया है तथा उसके विरूद्ध दो बार मामला अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराणार्थ पेश हुआ है व दोनों ही बार अपीलीय न्यायालय ने अपील को आंशिक स्वीकार कर वाद में पुनः कार्यवाही हेतु मामले को प्रतिप्रेषित किया गया है। स्थिति यह प्रकट होती है कि उक्त कालातीत अवधि के दौरान वादी ने अपने घोषणा के वाद को प्रमाणित करने के लिए नवीन दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। राजकीय भूमि लोक हित में सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है। यह भूमि राजकीय सिवायचक भूमि थी, इसलिए इसमें खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित एवं लोकहित में नहीं है। जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वादी को अपना वाद साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करना होगा। वादी द्वारा विवादित आराजी

बाबत प्रस्तुत घोषणा के वाद को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज करने के बाद प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट/वादी की अपील स्वीकार कर वादी के वाद को अपर्याप्त साक्ष्य व कुछ गवाहान के बयानात व पूर्व में पारित निर्णयों को आधारित कर अपील को स्वीकार कर वाद, वादी के पक्ष में प्रस्तुत साक्ष्य के विपरीत (perverse) निर्णित किया है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 सुप्रीम कोर्ट (2) एससीसी 312 एच.बी. गांधी एवं अन्य बनाम गोपीनाथ एण्ड सन्स में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रासंगिक दस्तावेजों के बिना तथा अप्रासंगिक साक्ष्य को मानकर दिया गया निर्णय विधि विपरीत माना जावेगा।

10. हस्तगत प्रकरण में भी अपीलीय न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के बाहर जाकर अप्रांसगिक एवं अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य के आधार पर भूमि वादी को खातेदारी दी है, जो उक्त उद्धरत न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार विधि विपरीत है। हस्तगत प्रकरण पर एआईआर 1994 एससी पेज 1341 का न्यायिक दृष्टांत भी चस्पा होता है।

11. उपरोक्त उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में अपीलीय न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय में उल्लेखित गम्भीर विधिक एवं प्रक्रियात्मक अनियमिताएं की गई है, इससे यह प्रकट होता है कि पीठासीन अधिकारी ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर वादी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निर्णय दिया है। बिना साक्ष्य पर आधारित निर्णय विधि की दृष्टि में शून्य है, जिसे किसी भी स्थिति में यथावत रखना न्यायोचित नहीं है। अतः हमारी सुविचारित राय में राज्य सरकार का समय एवं धन अनावश्यक रूप से खर्च करने सम्बन्धी विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष उचित एवं यथावत रखे जाने योग्य है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य के बिना विवादित आराजी पर वादी का निरन्तर कब्जाकाश्त मानकर आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए वाद को वादी के पक्ष में

निर्धारित किया है, जो अविधिक है तथा निरस्त किए जाने योग्य है। सारांशतः प्रस्तुत अपील में सारवान विधिक बिन्दु निहित होने के कारण स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य पाया जाता है।

12. परिणामतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांक 11–02–2005 निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांक 10–01–2003 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम निवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य